तारिख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज** F.S.S.Act Case No. 46/2024	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
27.01.2025	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या–1 (विक्रम जैन पुत्र धनराज जी जैन, विक्रेता, फर्म अरिहन्त मेडिकल स्टोर, पेलेस रोड़, सिरोही, तहसील व जिला– सिरोही) एवं प्रतिवादी संख्या 2 (धनराज जी जैन, प्रोपराईटर, फर्म अरिहन्त मेडिकल स्टोर, पेलेस रोड़, सिरोही, तहसील व जिला– सिरोही) के अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 3 (Pratibha Tated, M/s Osiyan Medical Agency, Old Collectore Residence Raj Gurudwara, Sirohi), प्रतिवादी संख्या 4 (Bhagwan Singh, M/s S.R.D. Pharmaceutical, 5-9 Shiv Kripa House, Natanion Ka Rasta, Film Colony, Jaipur), प्रतिवादी संख्या 5 (Ajay Gupta, M/s Wellwin Health Care, 39-40, Path No. 07, Bhamashah Marg, Karni Colony, Sikar Road, Jaipur), प्रतिवादी संख्या 6 (Gaurav Kumar Singhal, M/s Sanyoura Health Care, 2nd Floor, Shop No. 33 Mahaveer Nagar 2, Durgapura, Jaipur), प्रतिवादी संख्या 7 (Sandeep Garg, Partner, M/s G.G. Nutrions, Plot No.19 Phase 4 HIMUDA Industrial Township, Bhatolikalan Baddi, District-Solon, HP-173205), एवं प्रतिवादी संख्या 8 (Manik Singal, Partner, M/s G. G Nutrions, Plot No. 19 Phase 4 HIMUDA Industrial Township, Bhatolikalan Baddi, District- Solon, HP-173205) अनुपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादीगण के विरुद्ध श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही द्वारा दिनांक 06.4.2023 को फर्म अरिहन्त मेडिकल स्टोर, पेलेस रोड़, सिरोही, तहसील व जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता विक्रम जैन पुत्र धनराज जी जैन से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य PROTEJN POWDER (BRAND- PREGRICH DHA) का नमूना संख्या S-2083, खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./970/Act/2023/1013 दिनांक 28.4.2023 में अमानक (sub-standard) एवं मिथ्याछाप खाद्य (Misbranded food) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 व 52 के तहत प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण पर शास्ति (Penalty) अधिरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये। प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी संख्या 1 व 2 विक्रम जैन व धनराज जी जैन की ओर से अधिवक्ता श्री भैरुपाल सिंह बालावत उपस्थित हुये एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 विक्रम जैन व धनराज जी जैन की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण में नियत तिथि ....लगातार	

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–30/001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 46/2024	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमे जारी हुए

25.6.2024 को प्रतिवादी संख्या 4 से 6 क्रमशः भगवान सिंह, अजय गुप्ता व गौरव कुमार सिंघल ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण के निस्तारण अनुरोध किया। प्रकरण में नियत तिथि 25.6.2023 को प्रतिवादी संख्या 3 (प्रतिभा तातेड) की ओर से उसके पति ने उपस्थित होकर प्रतिवादी प्रतिभा तातेड की ओर से जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण के निस्तारण का अनुरोध किया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 7 व 8 क्रमशः सन्दीप गर्ग व माणिक सिंघल को इस न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की पंजीकृत डाक से तामिल होने के बाद भी उपस्थित नही हुये एवं न ही प्रतिवादी संख्या 7 व 8 क्रमशः सन्दीप गर्ग व माणिक सिंघल की ओर से जवाब प्रस्तुत हुआ।

प्रकरण में दिनांक 15.01.2025 को बहस सुनी गई। बहस के दौरान श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी संख्या 2 की प्रोपराईटरी फर्म अरिहन्त मेडिकल स्टोर, पेलेस रोड़, सिरोही में दिनांक 06.4.2023 को खाद्य पदार्थो के निरीक्षण के दौरान फर्म अरिहन्त मेडिकल स्टोर में प्रतिवादी विक्रेता विक्रम जैन से PROTEJN POWDER (BRAND- PREGRICH DHA) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय कर विधि अनुसार कार्यवाही करते हुए PROTEJN POWDER (BRAND- PREGRICH DHA) के नमूनें को जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को भिजवाया गया, जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की विश्लेषण जांच रिपोर्ट क्रमांक::**L.S./970/Act/2023/1013** दिनांक 28.4.2023 में अमानक (Sub-standard) व मिथ्याछाप खाद्य (Misbranded food) पाया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा अमानक (Sub-standard) व मिथ्याछाप खाद्य (Misbranded food) PROTEJN POWDER (BRAND- PREGRICH DHA) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया गया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 व 52 के तहत जुर्मानें योग्य अपराध है। अतः प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन विरुद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण पर उक्त अधियिम की धारा 51 व 52 के तहत शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जावे। जबकि बहस के दौरान प्रतिवादी संख्या 1 व 2 (क्रमशः विक्रम जैन व धनराज ज़ी जैन) के अधिवक्ता ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के जवाब में अंकित कथनों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि न्याय निर्णयन आवेदन के पद संख्या 2 से 7 व 9 से 12 में अंकित में कथनों को अस्वीकार करते हुए व न्याय निर्णयन आवेदन के पद संख्या 1 व 8 में अंकित कथनों को जानकारी के अभाव में अस्वीकार करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी की दुकान व फर्म अरिहन्त मेडिकल स्टोर पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी कभी उपस्थित नहीं आया है और न ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रतिवादी की दुकान अरिहन्त मेडिकल स्टोर में प्रतिवादी से प्रोटिन पाउडर (BRAND- PREGRICH DHA)

......लगातार

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 46/2024	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

खरीदा है। प्रतिवादी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीपसिंह को नहीं जानता है और न ही श्री दिलीपसिंह कभी प्रतिवादी की दुकान या फर्म पर उपस्थित आया है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने तथाकथित ब्राण्ड का निर्माण नहीं किया है और न ही प्रतिवादी संख्या 1 व 2 उक्त ब्राण्ड का निर्माणकर्ता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रतिवादी को हैरान परेशान करने एवं खर्चे में झेरबार करने की नियत से पक्षकार बनाया है। जबकि प्रतिवादी उक्त ब्राण्ड का निर्माता नहीं है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लिये गये तथाकथित प्रोटिन पाउडर (BRAND- PREGRICH DHA) का नमूना सेम्पल मिसब्राण्ड व अमानक स्तर का पाया गया है तो इसमें प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का कोई दोष नहीं है, इस हेतु निर्माता कम्पनी दोषी है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं अपने न्याय निर्णयन आवेदन में नमूना के पैक पैकेट प्राप्त करना कथन रहा है तथा उक्त पैकेटों में प्रतिवादी की ओर से किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं की गयी है। पैक पैकेट के नमूनों में मिसब्राण्ड या कोई मिलावट पाई जाती है तो उसके लिए खाद्य सामग्री की निर्माता कम्पनी जिम्मेवार है। उक्त प्रोटिन पाउडर (BRAND- PREGRICH DHA) को प्रतिवादी फर्म अरिहन्त मेडिकल स्टोर द्वारा जरिए बिल खरीद किये गये है। प्रतिवादी ने कोई मिसब्राण्ड या अमानक प्रोटीन पाउडर का विक्रय नही किया है और न ही निर्माण किया है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, उक्त कार्यवाही के लिए अपनी योग्यता धारण नहीं करता है और उसने अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर उक्त कार्यवाही की है. जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को खारिज किया जावे।

प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 06.4.2023 को समय 12–45 पी.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु मैसर्स अरिहन्त मेडिकल स्टोर, पेलेस रोड़, सिरोही, तहसील व जिला– सिरोही पर गये। वहां पर विक्रेता की हैसियत से प्रतिवादी विक्रम जैन पुत्र धनराज जी जैन उपस्थित मिले। श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स अरिहन्त मेडिकल स्टोर, पेलेस रोड़, सिरोही की दुकान के निरीक्षण के दौरान दुकान के अन्दर आम जन के बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ PROTEJN POWDER (BRAND- PREGRICH DHA) के 30 पैक्ड डिब्बों में मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना मौके पर उपस्थित गवाह श्री श्रवणसिंह, वाहन चालक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष प्रपत्र 5ए में प्रतिवादी विक्रेता विक्रम जैन को भरकर दी व रसीद प्राप्त की। श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त अरिहन्त मेडिकल स्टोर की दुकान में बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ PROTEJN POWDER (BRAND- PREGRICH DHA) के 30 पैक्ड डिब्बों में से PROTEJN POWDER (BRAND-

.......लगातार

न्यायालय मु०न्या० जिला मजिस्ट्रेट ★ सिरोही (राज०) ★

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज** F.S.S.Act Case No. 46/2024	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

PREGRICH DHA) के 4 पैक्ड डिब्बे (प्रत्येक 200 ग्राम) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच खरीदा एवं उसकी कीमत राशि रुपये 1440/– (अक्षरे रुपये एक हजार चार सौ चालीस मात्र) प्रतिवादी विक्रेता विक्रम जैन को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-2083, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ PROTEJN POWDER (BRAND- PREGRICH DHA) आदि अंकित कर उस पर प्रतिवादी विक्रेता, गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा PROTEJN POWDER (BRAND- PREGRICH DHA) के चारों पैक्ड डिब्बों (प्रत्येक 200 ग्राम) पर एक–एक लेबल चिपकाया एवं PROTEJN POWDER (BRAND- PREGRICH DHA) के चारों नमूना पैक्ड नमूना डिब्बों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-2083 को नियमानुसार गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को नियमानुसार सील चपडी किया व प्रत्येक नमूना भाग पर प्रतिवादी विक्रेता विक्रम जैन व गवाह के हस्ताक्षर कराये व स्वयं श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता विक्रम जैन, गवाह व श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने दिनांक 10.4.2023 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा, खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 06.4.2023 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स अरिहन्त मेडिकल स्टोर, पेलेस रोड़, सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता विक्रम जैन पुत्र धनराज जी जैन से खाद्य पदार्थ PROTEJN POWDER (BRAND- PREGRICH DHA) के 200–200 ग्राम के 4 पैक्ड डिब्बों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की

.......लगातार

मु. जिला न्यायाधीश
सिरोही–307001

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 46/2024	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ PROTEJN POWDER (BRAND- PREGRICH DHA) के नमूना संख्या S-2083 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./970/Act/2023/1013 दिनांक 28.4.2023 के अनुसार खाद्य पदार्थ PROTEJN POWDER (BRAND-PREGRICH DHA) का नमूना अमानक (sub-standard) व मिथ्याछाप खाद्य (Misbranded Food) पाया गयाहै। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि मैसर्स अरिहन्त मेडिकल स्टोर, पेलेस रोड़, सिरोही के प्रोपराईटर प्रतिवादी संख्या 2 (धनराज जैन) है एवं प्रतिवादी धनराज जैन की प्रोपराईटरी फर्म मैसर्स अरिहन्त मेडिकल स्टोर, पेलेस रोड़, सिरोही द्वारा PROTEJN POWDER (BRAND- PREGRICH DHA) के उक्त पैक्ड डिब्बो को फर्म M/s Osiyan Medical Agency, Old Collectore Residence Raj Gurudwara, Sirohi से जरिये बिल क्रय किया गया था, जो प्रतिवादी प्रतिभा तातेड की प्रोपराईटरी फर्म है। M/s Osiyan Medical Agency, Old Collectore Residence Raj Gurudwara, Sirohi द्वारा PROTEJN POWDER (BRAND- PREGRICH DHA) के उक्त पैक्ड डिब्बों को M/s S.R.D. Pharmaceutical, 5-9 Shiv Kripa House, Natanion Ka Rasta, Film Colony, Jaipur से क्रय किया गया था जो प्रतिवादी भंगवान सिंह की प्रोपराईटरी फर्म है। M/s S.R.D. Pharmaceutical, 5-9 Shiv Kripa House, Natanion Ka Rasta, Film Colony, Jaipur द्वारा PROTEJN POWDER (BRAND-PREGRICH DHA) के उक्त पैक्ड डिब्बो को M/s Wellwin Health Care, 39-40, Path No. 07, Bhamashah Marg, Karni Colony, Sikar Road, Jaipur से क्रय किया गया था, जो प्रतिवादी अजय गुप्ता की प्रोपराईटरी फर्म है। M/s Wellwin Health Care, 39-40, Path No. 07, Bhamashah Marg, Karni Colony, Sikar Road, Jaipur द्वारा PROTEJN POWDER (BRAND- PREGRICH DHA) के उक्त पैक्ड डिब्बों को M/s Sanyoura Health Care, 2nd Floor, Shop No. 33 Mahaveer Nagar 2, Durgapura, Jaipur से जरिये बिल क्रय किया गया था, जो प्रतिवादी गौरव कुमार सिंघल की प्रोपराईटरी फर्म है। प्रतिवादी गौरव कुमार की प्रोपराईटरी फर्म M/s Sanyoura Health Care, 2nd Floor, Shop No. 33 Mahaveer Nagar 2, Durgapura, Jaipur द्वारा PROTEJN POWDER (BRAND- PREGRICH DHA) के उक्त पैक्ड डिब्बों को M/s G. G Nutrions, Plot No. 19 Phase 4 HIMUDA Industrial Township, Bhatolikalan Baddi, District- Solon, HP-173205 से क्रय किया गया था, जो प्रतिवादी संख्या 7 व 8 क्रमशः सन्दीप गर्ग व माणिक सिंघल की भागीदारी की फर्म है एवं PROTEJN POWDER (BRAND- PREGRICH DHA) की निर्माता/पैकर फर्म है। इस प्रकार, प्रकरण में अमानक (sub-standard) व मिथ्याछाप खाद्य (Misbranded Food) PROTEJN POWDER (BRAND- PREGRICH DHA) के निर्माण, पैकिंग व विक्रय हेतु मुख्य रुप से निर्माता/पैकर फर्म M/s G. G Nutrions, Plot No. 19 Phase 4 HIMUDA Industrial Township, ...लगातार	

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

तारिख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज** F.S.S.Act Case No.46/2024	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमे जारी हुए

Bhatolikalan Baddi, District- Solon, HP-173205 ही दोषी है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है व उक्त अधिनियम की धारा 51 व 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

आदेश

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 51 व 52 के तहत अमानक (sub-standard) व मिथ्याछाप खाद्य (Misbranded Food) PROTEJN POWDER (BRAND- PREGRICH DHA) के निर्माण, पैकिंग व विक्रय हेतु प्रतिवादी फर्म M/s G.G. Nutrions, Plot No.19 Phase 4 HIMUDA Industrial Township, Bhatolikalan Baddi, District- Solon, HP-173205 पर राशि रुपये 40,000/– (अक्षरे रुपये चालीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। प्रतिवादी फर्म M/s G.G. Nutrions, Plot No.19 Phase 4 HIMUDA Industrial Township, Bhatolikalan Baddi, District- Solon, HP-173205 पर अधिरोपित उक्त शास्ति (Penalty) की राशि जमा करवाने हेतु उक्त M/s G.G. Nutrions के भागीदार प्रतिवादी संख्या 7 व 8 क्रमशः सन्दीप गर्ग व माणिक सिंघल उत्तरादायी होंगे। प्रतिवादी संख्या 7 व 8 क्रमशः सन्दीप गर्ग व माणिक सिंघल को आदेशित किया जाता है कि फर्म M/s G.G. Nutrions पर अधिरोपित उक्त शास्ति (Penalty) की रशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन में जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय की प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जुर्माना राशि डी. डी. आयन्दा दिनांक 05.3.2025 को पेश हो।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)